प्रेषक

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक-14 अक्टूबर, 2016**

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प का अधिष्ठापन पंचायत उद्योगों के माध्यम से न कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन स्तर पर कतिपय जनपदों से समय-समय पर विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प का अधिष्ठापन पंचायत उद्योगों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश मांगे जा रहे है।

2- शासनादेश संख्या-1240/अड़तीस-9-13-500(17)/2012, दिनांक-14.10.2013 में निहित व्यवस्था के आलोक में निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के पत्र संख्या-5/शा0/945/2016-5/211, दिनांक-09.09.2016 द्वारा (विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प का अधिष्ठापन पंचायत उद्योगों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में) निम्नवत् अभिमत प्रदान किया गया है:-

"पंचायती उद्योगों के स्वयं द्वारा उत्पादित सामानों की आपूर्ति की जाती है, पंचायत उद्योग के पास कोई तकनीकी अधिकारी नहीं है, जिससे इण्डिया मार्का-।। की स्थापना करा सके। हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य जल निगम द्वारा किया जाता है। हैण्डम्प की स्थापना के लिये पंचायत उद्योगों को अधिकृत किया जाना उचित नहीं है। पंचायत उद्योग जिन सामानों का उत्पादन करते है, उन सामानों को निदेशक, पंचायत राज द्वारा सत्यापित किया जाता है।"

3- इस सम्बन्ध में निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त अभिमत के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायत उद्योगों के पास कोई तकनीकी अधिकारी न होने के दृष्टिगत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प का अधिष्ठापन का कार्य पंचायत उद्योगों से न कराया जाय, साथ ही यदि किसी पंचायत उद्योग नामक कार्यदायी संस्था से हैण्डपम्प अधिष्ठापन के प्रस्ताव स्वीकृत कर कार्य कराये जा रहे है, तो उन्हें तत्काल रोककर जल निगम अथवा शासनादेश दिनांक-14.10.2013 से आच्छादित तकनीकी अधिकारियों व मशीनरी से युक्त सक्षम कार्यदायी संस्था के माध्यम से शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

भवदीय

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 58/2016/258(1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त् निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

3- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।